

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तरांचल, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादून: दिनांक : 04 अगस्त 2004

**विषय : नगरीय बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों/
सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण।**

महोदय,

समन्वित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों/सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या सी-69/27 अ.स. /2002 दिनांक 19 जून 2002 में आंशिक संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में नगरीय बाल विकास परियोजनाओं के लिये व्यवस्था की जानी है। तदनुसार इस हेतु यह निर्णय लिया गया है कि उल्लिखित शासनादेश के बिन्दु संख्या 4 (1) 3 को निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :-

<p>3. खण्ड विकास अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी जो सहायक खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से कम का न हो। नगरीय बाल विकास परियोजनाओं में नगर पंचायत/शिटी बोर्ड/नगर पालिका /नगर निगम का एक प्रतिनिधि, जो सहायक खण्ड विकास अधिकारी के स्तर से कम का न हो।</p>	<p>सदस्य</p>
--	--------------

2. उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय

एस0 के मुट्टू
प्रमुख सचिव


पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त मण्डल आयुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
- 2- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तरांचल।

- 3- समस्त अध्यक्ष, नगर पंचायत/खुला बाड/नगर पालिका/नगर निगम, उत्तरांचल।
4- निदेशक, नगर विकास, उत्तरांचल।

आज्ञा से.


(हिंगलता डौंडियाल)
अपर सचिव